

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 274 / 2025 (जी.सी.एम.एस. 2025 / 386)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह जाति मजहबी निवासी मकान संख्या 4-ई-166 जयनारायण व्यास कॉलोनी कुसुम साडी सेन्टर के पास, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 12.08.2025

उपस्थित: 1. श्री सतनाम सिंह बराड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 30.10.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 एम एम, पटवार हल्का धरिगावाली, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 120 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 1.582 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम एम, पटवार हल्का धरिगावाली, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 120 में अंकित नाम महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह के स्थान पर महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 2729 दिनांक 30.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक जमाबंदी ऑनलाईन करते समय सहवन से महेन्द्र सिंह पुत्र झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह की जगह महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह दर्ज हो गया। वादी के पिता का नाम झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह किया जाना उचित होगा। परन्तु वादी का नाम शुरू से राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र सिंह चला आ रहा है।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एम एम, पटवार हल्का धरिगावाली, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/16 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस छायाप्रति, आरजीएचएस कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एम एम, पटवार हल्का धरिगावाली, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

नम्बर 120 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह के स्थान पर महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस छायाप्रति, आरजीएचएस कार्ड की छायाप्रति में नाम महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक जमाबंदी ऑनलाईन करते समय सहवन से महेन्द्र सिंह पुत्र झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह की जगह महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह दर्ज हो गया। वादी के पिता का नाम झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह किया जाना उचित होगा। परन्तु वादी का नाम शुरू से राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र सिंह चला आ रहा है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम एम, पटवार हल्का धरिगांवाली, भू. अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 120 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह के स्थान पर महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाहानगी पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर ईजलास सुनाया गया।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

{शयोराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह जाति मजहबी निवासी मकान संख्या 4-ई-166 जयनारायण व्यास कॉलोनी कुसुम साडी सेन्टर के पास, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 274/2025

निर्णय दिनांक :- 30.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सतनाम सिंह बराड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम एम, पटवार हल्का धरिगांववाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/16 के मुर्ब्बा नम्बर 120 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम महेन्द्र सिंह पुत्र शबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह के स्थान पर महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र झबेल सिंह उर्फ लबेल सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{श्रीकरणपुर एवं पदेन  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00



{श्योराम (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)  
दिनांक: 30.10.2025

क्रमांक: रीडर/2025/808  
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)